41

[बिहार सरकार, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, पत्रांक 278, दिनांक 13-2-1995 की प्रतिलिपि ।]

विषय : संघ एवं महासंघ के पदधारकों के स्थानान्तरण को रद्द करने के संबंध में ।

निदेशानुसार मुझे कहना है कि उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मंत्रिमंडल सचिवालय के पत्र संख्या 988, दिनांक 11-5-1992 के निर्गत होने के उपरान्त भी सरकार को ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि अनेक पदधारकों का स्थानान्तरण अब भी रद्द नहीं किया गया है और उनके वेतन का भुगतान भी लम्बित है । सरकार ने इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए यह निदेश देने का निर्णय लिया है कि इस पत्र के साथ संलग्न बिहार राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की सूची में उल्लिखित पदधारकों का स्थानान्तरण अविलम्ब रद्द किया जाये और उनके वेतन भुगतान की व्यवस्था करते हुए अनुपालन प्रतिवेदन 15 दिनों में मुख्य सचिव के पास भेजें ।

2. सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि यदि इस प्रकार के स्थानान्तरण आदेश का अनुपालन नहीं करने के कारण किसी पदधारकों का निलम्बन हुआ हो, तो उसे भी रद्द किया जाये ।

42

[बिहार सरकार, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, पत्र संख्या बी/संघ 3-102/95-903, दिनांक 17 मई, 1995 की प्रतिलिपि ।]

विषय : संघ/महासंघ के पदधारकों के स्थानान्तरण को बन्द करने के सम्बन्ध में ।

निदेशानुसार मुझे कहना है कि उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के पत्रांक 988, दिनांक 11-5-1992 के क्रम में कई पत्र निर्गत हुए हैं जिसमें यह निदेश दिया गया था कि संघ/महासंघ के पदधारकों का स्थानान्तरण नहीं किया जाये और अगर स्थानान्तरण कर दिया गया है तो उसे अविलम्ब रद्द कर दिया जाये । लेकिन, कई निदेशों के बावजूद भी सरकार को ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि अनेक पद धारकों का स्थानान्तरण लगातार किया जा रहा है और स्थानान्तरित पदधारकों का स्थानान्तरण रद्द नहीं किया जा रहा है । पत्र संख्या 988, दिनांक 11-5-1992 में निहित आदेश के आलोक में कार्रवाई करने की कृपा करें तथा इस बिन्दु पर किये गये कार्रवाई से मंत्रिमंडल सचिवालय को अवगत कराने का कष्ट करें ।

43

[पत्रांक 212/(नि०को०)/पटना, 12-9-19[illegible] । शिवक, रामवृक्ष महतो निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) बिहार माध्यमिक शिक्षा कार्यालय, आम्रपाली भवन, पटना । सेवा में, सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक ।]

विषय : माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों का स्थानान्तरण ।

माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों के स्थानान्तरण/पदस्थापन के विषय में निम्नांकित बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिया जाय—

1. पूर्व में छः विषयों के शिक्षकों को गृह जिला से स्थानान्तरित किया गया है । अधिकांश लोगों ने पदस्थापित स्थान पर योगदान कर लिया है । योगदान नहीं करने वाले कुछ शिक्षक निलंबित हैं । अतः इस संबंध में निम्नांकित कार्रवाई की जाए—

(क) छः विषय में किसी कारण से बचे हुए शिक्षकों का तत्काल उनके गृह जिला से बाहर

कोड नं0 : 0631
फोन न0 : 2201142

मगध विश्वविद्यालय शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघ

बोधगया (बिहार)
(बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ से सम्बद्ध)

पत्रांक....Nil.......

दिनांक..13/07/.....2022

प्रेस विज्ञप्ति

मगध विश्वविद्यालय शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघ बोधगया के द्वारा आयोजित जोट मीटिंग के निर्णयानुसार कार्यकारिणी की आयोजित बैठक आज दिनांक:-13.07.2022 को उक्त संघ के अध्यक्ष श्री अमितेष प्रकाश का विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञापांक:-59/G2B/2022 दिनांक:- 09.07.2022 के द्वारा स्थानान्तरण ए० एन० एस० कॉलेज, नवीनगर (औरंगाबाद) कर दिया गया है।

कार्यकारिणी ने अन्य निर्णय के साथ बिहार ~~सरकार~~ मंत्रीमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, पटना के द्वारा पूर्व में निर्गत आदेशों यथा (i) पत्रांक:-218 दिनांक:-13.2.1995 (ii) पत्र सं०-बी/संघ-3-102/95-903, दिनांक:- 17.5.1995 (iii) पत्रांक-988 दिनांक 11.5.1992 में यह स्पष्ट उल्लेखित एवं निर्देशित है कि संघ/महासंघ के पदधारकों पर रोक रखा गया है साथ ही यदि स्थानांतरण कर दिया गया है तो उसे यथाशीघ्र रद्द करने का भी आदेश उक्त पत्रों में है।

इसी आलोक में कार्यकारिणी ने अन्य निर्णयों के अतिरिक्त यह भी निर्णय लिया गया है कि उक्त स्थानान्तरण के रोक/रद्द करने के संबंध में महासचिव मगध विश्वविद्यालय शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघ, बोधगया के द्वारा विश्वविद्यालय के प्रशासनिक पदाधिकारी को राज्य सरकार मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, बिहार पटना के द्वारा निर्गत आदेशों के आलोक में श्री अमितेष प्रकाश, अध्यक्ष, मगध विश्वविद्यालय शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघ बोधगया का स्थानान्तरण को अविलम्ब रद्द करने का ज्ञापन सौंपा गया है।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

13.07.2022
महासचिव
शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघ
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया

Scanned with CamScanner